

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0



प्रार्थना पत्र सं0 180/2018

1. मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड, शाखा जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी वीरेन्द्र सिंह राठौड़

प्रार्थी

बनाम

1. श्री मुकेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री कजोड. मल गुर्जर (अ) 34, निमाडी वाली ढाणी ग्रह, तहसील सिकराय जिला दौसा राज. 303501 (ब) बालाजी किराना स्टोर, पेट्रोल पम्प के पास, गढ पंचायत राणोली तहसील सिकराय जिला दौसा राज.303501
2. श्रीमति रेशम देवी पत्नि श्री मुकेश कुमार गुर्जर एवं श्रीमति सावित्री देवी पत्नि श्री कजोड मल गुर्जर (अ) 34, निमाडी वाली ढाणी ग्रह, तहसील सिकराय जिला दौसा राज. 303501 (ब) बालाजी किराना स्टोर, पेट्रोल पम्प के पास, गढ पंचायत राणोली तहसील सिकराय जिला दौसा राज.303501

अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री नरेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 10.7.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणीगण श्री मुकेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री कजोड. मल गुर्जर (अ) 34, निमाडी वाली ढाणी ग्रह, तहसील सिकराय जिला दौसा (ब) बालाजी किराना स्टोर, पेट्रोल पम्प के पास, गढ पंचायत राणोली तहसील सिकराय जिला दौसा व अन्य को 1663472/- (रुपये सोलह लाख तरेसठ हजार चार सौ बहत्तर) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई सम्पत्ति श्रीमती सावित्री देवी पत्नी कजोडमल गुर्जर की सम्पत्ति खसरा नम्बर 302/1 रकबा 0.07 है0 में से आवासीय सम्परिवर्तित भूमि क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर ग्राम गढ तहसील सिकराय जिला दौसा जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फौसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 10 जुलाई, 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)

जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा